

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय सतर्कता मॉनटरिंग समिति का गठन

चर्चा में क्यों?

3 मार्च, 2022 को राज्य शासन ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम के तहत 21 अगस्त, 2019 को गठित राज्यस्तरीय सतर्कता मॉनटरिंग समिति को तत्कालप्रभाव से नरिसत कर मुख्यमंत्री शविराज सहि चौहान की अध्यक्षता में नई समिति का गठन किया है।

प्रमुख बदि

- मुख्यमंत्री शविराज सहि चौहान की अध्यक्षता में गठित नई समिति में मंत्री, सांसद, वधायक और संबंधित अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है। प्रमुख सचवि अनुसूचित जाति कल्याण को संयोजक सदस्य सचवि बनाया गया है।
- अनुसूचित जाति कल्याण वभिग द्वारा जारी समिति की अधिसूचना के अनुसार समिति में गृह, जेल, संसदीय कार्य, वधि और वधायी कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मशि्रा, अनुसूचित जाति कल्याण एवं जनजातीय कार्य मंत्री मीना सहि तथा 3 सांसद- गजेंद्र सहि पटेल, हमिाद्री सहि तथा महेंद्र सहि सोलंकी को सदस्य नामांकित किया गया है।
- इसी प्रकार 9 वधायकों- कुंवर सहि टेकाम, सुलोचना रावत, राम दांगोरे, मनीषा सहि, हरशिंकर खटीक, रघुनाथ मालवीय, डॉ. योगेश पंडाग्रे, गोपीलाल जाटव और राजेश प्रजापति तथा मुख्य सचवि मध्य प्रदेश शासन, अपर मुख्य सचवि/प्रमुख सचवि गृह, पुलसि महानदिशक और नदिशक/उप नदिशक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग को सदस्य नामांकित किया गया है।